संख्या–234 /XVIII-(2)/17-01(07)/2010

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (DMMC),
सचिवालय परिसर, देहरादून।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1 **देहरादूनः दिनांक 20 अप्रैल, 2018**

विषयः– भूकम्प सुरक्षित भवन निर्माण तकनीक पर आधारित 07 दिवसीय राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–872/DMMC/XIV-506(2016), दिनांक 24 जनवरी, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भूकम्प सुरक्षित भवन निर्माण तकनीक पर आधारित 07 दिवसीय राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु चयनित संस्थाओं द्वारा द्वितीय चरण में प्रति जनपद 02 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किये जाने हेतु ₹ 95,79,140/– की धनराशि आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजमिस्त्रियों के मानदेय को ₹ 350/– यथावत रखते हुए प्रस्तावित धनराशि ₹ 95.79 लाख मे से ₹ 13.65 लाख को कम करते हुए अवशेष ₹ 82.14 लाख (₹बयासी लाख चौदह हजार मात्र) की धनराशि राज्य आपदा मोचन निधि से स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखते हुए इसे आहरित कर नियमानुसार व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाओं से हुई क्षति में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से व्यय हेतु संशोधित दिशा–निर्देश दिनांक 08.04.2015 में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार आपदा प्रतिवादन के लिये आवश्यक खोज एवं बचाव उपकरण, जिसमें संचार उपकरण भी सम्मिलित है, का क्रय राज्य कार्यकारिणी समिति के आकलन के अनुरूप राज्य आपदा मोचन निधि के कुल वार्षिक आवंटन के 10 प्रतिशत तक तथा क्षमता विकास कार्यक्रमों पर कुल वार्षिक आवंटन के 5 प्रतिशत तक व्यय किये जाने के निर्देश है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

3– स्वीकृत धनराशि से सम्बन्धित बिलों में सचिव, आपदा प्रबन्धन से प्रति हस्ताक्षरित कराकर कोषागार से आहरण किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि का लेखा–जोखा डी.एम.एम.सी. द्वारा ही रखा जायेगा।

5– धनराशि का स्वीकृत मदों से भिन्न मदों में अथवा गलत उपयोग होने पर अधिशासी निदेशक, डी.एम.एम.सी. एवं सम्बन्धित एजेन्सी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

6– व्यय करते समय प्रोक्योरमेंट रूल्स, बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं मितव्ययता विषयक शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। व्यय की यथासमय सम्परीक्षा किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

7— धनराशि स्वीकृत किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। साथ ही धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व कार्य के औचित्य एवं आवश्यकता पर सम्यक विचार कर लिया जायेगा।

8— स्वीकृत की जा रही धनराशि को दिनांक 31.03.2019 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

9— उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018—19 के अनुदान संख्या—6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक—2245—प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत—05—राज्य आपदा मोचन निधि (90% केन्द्र पोषित)—101—आरक्षित निधियों एवं जमा लेखों में अन्तरण एस.डी.आर.एफ.—02—आपदा राहत निधि से व्यय—42—अन्य व्यय मद के नामें डाला जायेगा।

10— यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0पत्र संख्या—09 मतदेय/वित्त अनु0—5/2018, दिनांक 16 अप्रैल, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या— (1)/XVIII-(2)/17-01(07)/2007, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़, देहरादून।
2— आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3— निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4— निजी सचिव—मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5— वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6— प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7— राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
8— मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
9— निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
10—वित्त अनुभाग—5, उत्तराखण्ड शासन।
11—गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
अनु सचिव